

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2005 – आश्विन 26, शक 1926

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2004

रायपुर दिनांक 3/10/2004 एवं नैमित्तिक क्रमांक 3/सी एस ई आर सी/2004, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का क्रमांक 36) की धारा 87 एवं 181 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा राज्य सलाहकार समिति एवं उसके अधीनस्थ सेवा नैमित्तिक से संबंधित विनियम बनाता है, अर्थात्

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति)
विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 3)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004 (वर्ष 2004 का क्रमांक 3) कहा जायेगा।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
 - (अ) “केन्द्रीय अधिनियम” से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2004 का क्रमांक 36)।
 - (ब) “आयोग” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग।
 - (स) “समिति” से अभिप्रेत है राज्य सलाहकार समिति।
 - (द) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ सरकार।
- (2) प्रयुक्त शब्द व अभिव्यक्तियों, जो ऊपर परिभाषित नहीं किये गये हैं, का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्रीय अधिनियम में है।

3. राज्य सलाहकार समिति का गठन

- (1) समिति के सदस्यों की संख्या 15 से कम नहीं होगी तथा 21 से अधिक नहीं होगी और इनका नामांकन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 87 के अनुरूप आयोग द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। किसी भी सदस्य के रिक्त स्थान को रिक्त के दिनांक से दो माह की कालावधि भीतर भरा जायेगा।
- (2) समिति के सदस्यों का नामांकन तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा एवं इन्हें केवल एक और टर्म के लिए पुनः नामांकित किया जा सकेगा।
- (3) आयोग के अध्यक्ष, राज्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। आयोग के सदस्य एवं राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग के सचिव इस समिति के पदेन सदस्य होंगे।
- (4) राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव इस समिति में विशेष आमंत्रित होंगे।

- (5) समिति के पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर यदि कोई सदस्य आयोग को पूर्व सूचना दिये तथा अपनी अनुपस्थिति के ठोस कारण बताये बिना लगातार तीन बैठकों में भाग लेने में असफल रहता है तो समिति से उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी।

4. समिति का सचिव

- (1) आयोग का सचिव समिति का पदेन सचिव होगा।
- (2) सचिव का दायित्व होगा कि वह अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का आयोजन करें जिसकी लिखित सूचना, अध्यक्ष के विशिष्ट अन्यथा निर्देश को छोड़कर, सामान्यतः कम से कम 14 दिवस पूर्व सदस्यों को दी जावेगी। सूचना में प्रस्तावित बैठक की तिथि, समय एवं बैठक स्थल का विवरण दिया जावेगा।

5. समिति की कार्यवाही

- (1) समिति की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अभिलिखित किया जावेगा एवं उस पर अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे।
- (2) समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार होगी।
- (3) समिति की बैठक का कोरम कम से कम छः सदस्य का होगा।
- (4) उचित कोरम की बैठक प्रारम्भ होने के बाद, भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कोरम से कम होने हो जाने के बावजूद भी, बैठक चालू रखी जा सकती है।
- (5) बैठक प्रारम्भ होने पर कोरम के अभाव में समिति द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया जाएगा और ऐसी बैठक को अध्यक्ष द्वारा स्थगित किया जा सकता है। स्थगन की स्थिति में बैठक उसी दिन अन्य समय पर या अध्यक्ष द्वारा नियत कोई अन्य तिथि पर, रखी जा सकती है। स्थगन के बाद आयोजित इस प्रकार की बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- (6) स्थगन के उपरांत की बैठक में स्थगित बैठक की कार्यसूची पर पहले विचार होगा, उसके बाद ही किसी नये विषय पर विचार किया जा सकेगा।

- (7) किसी सदस्य द्वारा कार्यसूची या सूचना की प्राप्ति न होने पर या समिति में किसी सदस्य के रिक्त पद होने पर या मात्र बैठक के संचालन संबंधी कोई अनियमितता की वजह से बैठक की कार्यवाही को अवैध नहीं माना जावेगा।
- (8) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया जाय, समिति की सभी बैठकें आयोग के कार्यालय में आयोजित की जायेंगी।

6. समिति के सदस्यों को शुल्क व भत्ते

- (1) समिति के पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर अन्य सदस्यों को प्रत्येक बैठक के लिये रु. 500/- (रुपए पांच सौ केवल) शुल्क की पात्रता होगी।
- (2) पदेन सदस्य एवं विशेष आमंत्रित को छोड़कर समिति के सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए टिकिट इत्यादि प्रस्तुत करने पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय अथवा रेल में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराये में से जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

7. सदस्य का इस्तीफा

पदेन सदस्य को छोड़कर समिति का कोई सदस्य आयोग के सचिव को लिखित सूचना के साथ समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे सकता है। इसे आयोग के अध्यक्ष की स्वीकृति के दिनांक से लागू माना जावेगा।

8. सदस्य का हटाया जाना

- (1) पदेन सदस्य को छोड़कर समिति के अन्य सदस्य को आयोग द्वारा हटाया जा सकता है –
 - (अ) जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या
 - (ब) जो नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में दोषी पाया गया हो; या
 - (स) जो सदस्य के रूप में काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

- (द) जिसने इस प्रकार का व्यवहार या अपने पद का दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित या केन्द्रीय अधिनियम के प्रयोजन एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल हो।
- (2) जिस सदस्य को उपरोक्त उपखण्ड (1), में वर्णित कारणों से हटाया जाना प्रस्तावित हो, उसे आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

9. विविध

- (1) केन्द्रीय अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों एवं इन विनियमों के तहत, आयोग द्वारा इन विनियमों के क्रियान्वयन के लिये समय-समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किये जा सकेंगे।
- (2) आयोग किसी भी समय इस विनियम के प्रावधानों में वृद्धि, परिवर्धन, परिवर्तन, संशोधन या सुधार कर सकता है।
- (3) इन विनियमों के प्रावधान को लागू करने में यदि कोई भी कठिनाई होती है तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, कोई भी कार्य कर सकता है या कार्य किया जाना स्वीकार कर सकता है अथवा समिति को ऐसा करने या करने के लिये अनुमति दे सकता है जो उस अवरोध को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित लगता है।

टीप— इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव

Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission
Old Chhattisgarh College Compound
G. E. Road, Civil lines, Raipur-492 001 (C.G.)
Phone No. 771-5073555 Fax - 5073553

Raipur, the 11th October 2004

No. 3/CSERC/2004. In exercise of the powers conferred under Section 87 read with Section 181 (1) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Chhattisgarh State Electricity Commission hereby makes the following Regulations with regard to the State Advisory Committee and matters incidental and ancillary thereto, namely

CSERC (STATE ADVISORY COMMITTEE) REGULATIONS, 2004 (No. 3 of 2004).

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (State Advisory Committee) Regulations, 2004 (No. 3 of 2004)
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Chhattisgarh Government Gazette.

2. Definitions

- (1) In these regulations unless the context otherwise requires;
 - (a). "Central Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b). "Commission" means the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission;
 - (c). "Committee" means the State Advisory Committee;
 - (d). "State Government" means the Government of Chhattisgarh.
- (2) Words and expressions used but not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Central Act.

3. Constitution of the State Advisory Committee

- (1) The Committee shall consist of not more than 21 members and not less than 15 members, to be nominated by the Commission from time to time consistent with Section 87 of the Central Act. Any vacancy in the membership of the Committee may be filled up within a period of two months from the date of vacancy.
- (2) The members of the Committee shall be nominated for a period of three years and may be re-nominated for one more term only.

- (3) The Chairperson of the Commission shall be the ex-officio Chairperson of the Committee and member of the Commission, the Secretary to the State Government in charge of the Department dealing with consumer affairs and public distribution system shall be ex-officio member of the Committee.
- (4) Secretary to the State Government in charge of the department dealing with Energy shall be special invitee to the Committee.
- (5) A member other than the ex-officio member and the special invitee, who fails to attend three consecutive meetings of the committee without prior intimation to the Commission and without valid reasons for his absence, shall cease to be a member of the Committee.

4. Secretary of the Committee

- (1) The Secretary of the Commission shall be the ex-officio Secretary of the Committee.
- (2) It shall be the duty of the Secretary to convene the meetings of the Committee with the permission of the Chairperson and to give to the members thereof, unless otherwise specifically directed by the Chairperson, not less than 14 days' notice in writing of the date, time and place of the proposed meeting.

5. Proceedings of the Committee

- (1) The proceedings of the meetings of the Committee shall be recorded in a minute book to be kept for the purpose and shall be signed by the Chairperson of the Committee.
- (2) The Committee shall meet at least once in every three months.
- (3) The quorum for the meeting of the Committee shall be six.
- (4) A meeting, commenced with a valid quorum can be continued even if the number of participating members reduces below the quorum during the meeting.
- (5) If there is no quorum at the commencement of the meeting no business shall be transacted and the Chairperson of the committee may adjourn the meeting to another time the same day or to another date to be fixed by the Chairperson. No quorum shall be necessary for an adjourned meeting.
- (6) In the adjourned meeting the agenda proposed for the initial meeting shall be considered first before other matters are taken up for consideration.
- (7) The proceedings of the Committee shall not be invalid by reason merely of a vacancy in the Committee or by reason of non-receipt of the notice or agenda papers by any member of the Committee or by reason of any irregularity in the conduct of the business of meeting.

- (8) Unless the Commission otherwise notifies, all meetings of the Committee shall be held at the Office of the Commission.

6. Fees and allowances for members of the Committee

- (1) A member of the Committee other than an ex-officio member and the special invitee shall be entitled to a fee of Rs. 500/- (Rupees Five hundred only) for each sitting.
- (2) A member of the Committee other than an ex-officio member and the special invitee attending the meeting of the Committee shall be entitled to get expenses for travelling on production of tickets etc and this shall be limited to 2nd AC train fare or actual expenses whichever is lower.

7. Resignation of member

A member of the Committee, other than an ex-officio member, may, by a written notice to the Secretary of the Commission resign from membership and his resignation shall come into effect from the day the Chairperson of the Commission accepts the same.

8. Removal of member

- (1) The Commission may remove any member of the Committee other than an ex-officio member, who
- (a) has been adjudged as insolvent; or
 - (b) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
 - (c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or
 - (d) has conducted himself in a manner, or has so abused his position, as to render his continuance as a member prejudicial to public interest or to the objects and purposes of the Central Act.
- (2) The member who is proposed to be removed under sub-clause (1) above shall be given an opportunity to represent to the Chairperson of the Commission.

9. Miscellaneous

- (1) Subject to the provisions of the Central Act, and these regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and directions in regard to the implementation of these regulations.
- (2) The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these regulations.

- (3) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, by general or special order, do or undertake or permit the Committee to do or undertake things, which in the opinion of the Commission is necessary or expedient for removing difficulties.

Note: In case of any difference in the interpretation or understanding of the provisions of the Hindi version of these Regulations with those of the English version (the original version), the latter will prevail and in case of any dispute in this regard, the decision of the Commission shall be final and binding.

By Order of the Commission

**(Ajay Srivastava,
Deputy Secretary**